मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 47
18.07.2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा होने वाला प्रदूषण

47. श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे यूनिट माहुल रोड, चेंबूर, मुंबई में स्थित राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड बड़े पैमाने पर प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है;
(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में उपरोक्त संस्थान को दोषी पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा चेंबूर (मुंबई) क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, एमपीसीबी ने मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) लिमिटेड, चेंबूर, मुंबई का, मेसर्स आरसीएफ में अमोनिया गैस के छोड़ने/रिसाव होने संबंधी शिकायत के आधार पर दिनांक 01.12.2021 और 05.01.2022 को साइट दौरा किया था। इस दौरे के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अमोनिया उत्सर्जन स्टैक के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की रीडिंग, मानकों की निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। इसके अतिरिक्त, दोनों स्टेशनों की सीएएक्यूएमएस (सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली) की रिपोर्टें, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता (एनएएक्यू) मानकों की निर्धारित सीमा के भीतर हैं। सुफाला में स्थित संयंत्र की अमोनिया उत्सर्जन की स्टैक नमूना जांच रिपोर्ट में कोई अनियमितता नहीं थी।

(ग) और (घ) चूंकि यह उद्योग दौरे के दौरान, एमपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहा था इसलिए कोई कार्रवाई अपेक्षित/प्रस्तावित नहीं है। तथापि, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

- स्वत: विनियामक कार्यतंत्र के माध्यम से निगरानी कार्यतंत्र के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी अनुपालन के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को प्रदूषण स्तरों पर निरंतर रूप से निगरानी रखने के लिए ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) संस्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उद्योगों की पर्यावरणीय निगरानी के लिए निरीक्षण आवृत्ति के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) को धारा 18(1)(ख) के तहत निदेश जारी किए हैं और सभी एसपीसीबी/पीसीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पर्यावरणीय निगरानी के लिए उद्योगों का निर्धारित आवृत्ति के अनुसार निरीक्षण किया जाए, जब तक कि किसी विशेष राज्य के लिए अपवाद स्वरूप कोई कारण मौजूद न हों।

- पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I : 'विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण हेतु मानक' के अंतर्गत उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानक अधिसूचित किए गए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां, इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराती हैं। अब तक, लगभग 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- एसपीसीबी/पीसीसी, राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने की सहमति/प्रचालन की सहमति और प्राधिकार जारी करती हैं। एसपीसीबी/पीसीसी, निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक उत्सर्जनों/बहि:स्राव निस्सरणों और अन्य प्रचालन संबंधी कार्यकलापों के अनुपालन की भी निगरानी करती हैं।

****